


पेश हो। 

24/3/21

पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रा० पत्र 212 RTI ऑफिसियल है अतः प्रा० पत्र 212 RTI इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर न० से कम है।



